सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
एवं
प्रगति विवरण 2015-16

पर्यावरण विभाग, जयपुर

1. पर्यावरण विभाग का कार्य एवं उद्देश्य –

पर्यावरण विभाग के कार्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गये हैं –

(क) पर्यावरण और पारिस्थितिकी से सम्बन्धित मामले और निम्नलिखित से सम्बन्धित मामलों के लिए एक केन्द्रीय विभाग के रूप में कार्य करना।

- पारिस्थितिकी सन्तुलन का परिरक्षण।
- पर्यावरण सम्बन्धित मामलों पर अनुसंधान और अध्ययन।
- पर्यावरण से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बन्धित क्रियाकलाप।
- प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से पर्यावरण चेतना जागृत करना।

(ख) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं राजस्थान जैव विविधता मंडल से सम्बन्धित समस्त मामलों का निवारण और नियंत्रण।

(ग) कार्मिक, सामान्य प्रशासन, वित्त और वन विभाग को सौंपे गए मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त मामले।

2. संगठनात्मक रचना –

- पर्यावरण विभाग का गठन वर्ष 1983 में किया गया था।
- वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं।
- पर्यावरण विभाग में शासन सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता, उप निदेशक, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी हैं।

पर्यावरण विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार है :–

अतिरिक्त मुख्य सचिव

↓

शासन सचिव

↓

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

↓

उपनिदेशक

↓

विधि शाखा | लेखा शाखा | संस्थापन शाखा | शिक्षा शाखा | कम्प्युटर शाखा | प्रचार प्रसार

<u>पर्यावरण निदेशालय में स्वीकृत पदो का विवरण (31.12.15 को)</u>

क्रम. सं.	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	पद पर कार्यरत	रिक्त पद
1.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव	1	1	0
2.	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता	1	1	0
3.	उप निदेशक (पर्या)	1	1	0
4.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0
5.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1

6.	प्रोग्रामर	1	1	0
7.	सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड–II)	1	1	0
8.	कनिष्ठ लेखाकार	1	0	1
9.	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
10.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	1	1	0
11.	निजी सहायक	2	2	0
12.	लिपिक ग्रेड–I	2	2	0
13.	सूचना सहायक	1	1	0
14.	लिपिक ग्रेड–II	2	0	2
15.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	3	0
	योग	20	15	5

3. पर्यावरण विभाग द्वारा नीतिगत निर्णयों पर क्रियान्वयन की कार्यवाही निम्नानुसार की गई–

3.1 राज्य पर्यावरण नीति 2010 के क्रियान्वयन का नियमित प्रबोधन :

राज्य पर्यावरण नीति 2010 के कार्यकारी बिन्दुओ से सम्बन्धित क्रियान्विति रिपोर्ट विभिन्न विभागो से समय–समय पर मंगवाई जाकर इसका संकलन कर प्रबोधन किया जा रहा है।

3.2 प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध :

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 21.07.2010 जारी कर दिनांक 01 अगस्त 2010 से राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा

राज्य को 'प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र' घोषित कर दिया गया है। वर्ष के दौरान अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिला कलेक्टरों के माध्यम से विशेष अभियान चलाये गये।

3.3 फसल कटाई के बाद बचे हए भूसे को जलाने पर प्रतिबन्ध :

राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.08.2015 से राज्य में फसल कटाई के बाद उसके बचे हुए भूसे को जलाने पर समस्त राज्य में प्रतिबन्धिंत कर दिया गया है।

3.4 राज्य मे प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये महत्वपूर्ण कार्य :

- संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना
  - कार्यरत – 14, निर्माणाधीन– 1, प्रस्तावित– 2
- मल–जल उपचार संयंत्र की स्थापना
  - कार्यरत – 18, निर्माणाधीन– 15, प्रस्तावित– 39
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार सुविधाओं की स्थापना
  - कार्यरत – 11, प्रस्तावित– 9
- परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु सामूहिक निस्तारण सुविधाओं की स्थापना
  - कार्यरत – 2
- परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम एवं रीयल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन
  - वायु गुणवत्ता स्टेशन– 24, रीयल टाइम स्टेशन– 2
- जल संसाधन गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.एम.पी.)
  - नमूना एकत्रिकरण हेतु चिन्हित जल स्त्रोत– 128

3.5 राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना हेतु बजट एवं परियोजना तैयार करवाने व अन्य सम्बन्धित कार्यों हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य किया जा रहा है।

सांभर झील के संरक्षण संबंधी सभी पहलुओं पर विस्तृत योजना तैयार किये जाने हेतु विशेषज्ञ ऐजेंसी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI), नागपुर को रूपये 1,24,14,000/– की स्वीकृति प्रदान की गई है। संस्थान द्वारा अन्तरिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अंतिम परियोजना रिपोर्ट पर विभिन्न सम्बन्धित विभागो से अभिशंषाए प्राप्त होने पर एवं उनका परीक्षण किया जाकर अंतिम परियोजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

3.6 राज्य में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के सतत् विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008 के अन्तर्गत ऑथोराइजेशन हेतु आवेदन पत्रों के online submission तथा disposal की सुविधा चालू की गई तथा बेहतर पारदर्शित हेतु फाइल ट्रेकिंग की सुविधा यथा शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है। राज्य मण्डल द्वारा सूचना संपर्क प्रणाली को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रोनिक माध्यमों जैसे ई–मेल, एस.एम.एस. अलर्ट द्वारा सूचना भेजने की प्रणाली प्रारम्भ की गई।

3.7 इसके अतिरिक्त राज्य मण्डल द्वारा राजस्थान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 एवं राजस्थान वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1983 के प्रावधानों में संशोधन कर आवेदन पत्र एवं शुल्क विवरण का सरलीकरण तथा वैधता अवधि में विस्तार किया गया। साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी हरी श्रेणी (Green Category) में वर्गीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों जिनका कुल पूंजी निवेश 5 करोड या 5 करोड से कम है, उनको सम्मति आवेदन पत्र के जमा कराने की रसीद को राज्य मण्डल द्वारा सम्मति माना जायेगा। इन उद्योगों को यह आवेदन पत्र एक बार

ही जमा कराना होगा एवं हरी श्रेणी के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के सम्मति नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह सम्मति आवेदन दिनांक 01/12/2015 से ऑनलाईन जमा कराये जाने की सुविधा एवं पावती पत्र को उद्योग इकाई के पंजीकृत ई मेल आईडी पर मेल द्वारा प्रेषित करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है, जिसका प्रिंट आउट कहीं से भी लिया जा सकता है। ऑनलाईन पावती पत्र पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

4. वर्ष 2015–16 की उपलब्धियां

प्रचार–प्रसार हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यः–

(अ) पर्यावरण विभाग में पर्यावरण शिक्षा एवं जागरूकता के प्रचार–प्रसार हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित था :–

<u>आयोजना मद</u>

3435– पारिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण

03– पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूद्ध भवन

102– पर्यावरणीय योजना और समन्वय

01– पर्यावरण सुधार

11– विज्ञापन, विक्रय एवं प्रसार राशि रु. 30.00 लाख

....

कुल राशि रु. 30.00 लाख

....

दिसम्बर 2015 तक व्यय राशि रु. 22.58 लाख

....

उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत तीन अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों, पृथ्वी दिवसः 22 अप्रेल, विश्व पर्यावरण दिवसः 5 जून एवं ओजोन परत संरक्षण दिवसः 16 सितम्बर के अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता संबंधी संदेश

प्रकाशित कराये गये। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2015 को विभाग द्वारा रामनिवास बाग, जयपुर में "रन फॉर एनवायरमेंट" रैली का आयोजन किया गया। मकर संक्रान्ति के अवसर पर पंतग उडाने हेतु चाइनीज मांझे, धातु से निर्मित धागे, कांच एवं लोहे के पाउडर से निर्मित मांझे का उपयोग न करने हेतु जनता में जागरूकता लाने के लिए समाचार पत्रों में दो दिवस लगातार संदेश दिया गया है।

5. **पर्यावरण विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख दिवसों पर पर्यावरणीय कार्यक्रम जिला स्तरीय पर्यावरण समितियों के माध्यम से आयोजित कराए गए हैं :**

पृथ्वी दिवस	**22 अप्रैल**
विश्व पर्यावरण दिवस	**5 जून**
ओजोन परत संरक्षण दिवस	**16 सितम्बर**

उक्त दिवसों के आयोजन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रत्येक दिवस के आयोजन हेतु 50-50 हजार रूपये की राशि जिला स्तरीय पर्यावरण समितियों को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान रखा गया।

6. **राज्य स्तरीय राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार :**

विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर वर्ष 2012 से प्रतिवर्ष राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को **"राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार"** प्रदान किया जाता है। उक्त पुरस्कार में राशि रु 5 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी-संगठन/संस्थान को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु, राशि रु 3 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को-पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु एवं राशि रु 2 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी-व्यक्ति विशेष को जिसने पर्यावरण क्षेत्र में

उत्कृष्ट कार्य किया है, प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष विज्ञप्ती माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी की जाकर 30 नवम्बर तक नामांकन के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है तत्पश्चात विशेषज्ञ समिति द्वारा उपयुक्त नामांकनो की छटनीं की जाती है व अन्ततः पर्यावरण मंत्री महोदय की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा संवर्गानुसार पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।

इस वर्ष राशि 5 लाख रूपये, रजत कमल ट्रॉफी एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र, संगठन संवर्ग में ''पानी राम'' संस्थान उदयपुर एवं राशि 2 लाख रूपयें, रजत कमल ट्रॉफी एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत संवर्ग में श्री विष्णु प्रसाद शर्मा उर्फ ''विष्णु लाम्बा'' निवासी जयपुर को प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. नदियों/झीलों के लिए नीति निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु उच्च स्तरीय कमेटी का गठनः

विभिन्न वैधानिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के चलते विगत कुछ वर्षो से राज्य की नदियों, झीलों एवं नमभूमि के पर्यावरण एवं जनहित में विकास कार्यो से सम्बन्धित योजनाओं/परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के मूल उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप नदियों एवं झीलों से सम्बन्धित परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने एवं नीति निर्धारणार्थ/नियत्रंण हेतु एकं उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है एवं दिसम्बर 2015 तक इस उच्च स्तरीय कमेटी की 7 बैठकें की जा चुकी है।

8. जिला पर्यावरण समितियां :

पर्यावरण विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समितियां गठित की गई है। जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया गया है। जिला पर्यावरण समिति का सदस्य सचिव उप वन संरक्षक/मंडल वन अधिकारी होता है।

इन समितियों की त्रैमासिक बैठके आयोजित करने का प्रावधान है तथा इनके द्वारा पर्यावरण के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। इन समितियों के माध्यम से प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितम्बर को पर्यावरण चेतना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

9. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल :

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अन्तर्गत जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा जल की गुणवता को बनाये रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा 11 सितम्बर 1975 को किया गया था। वर्तमान में सभी पर्यावरण अधिनियमों/नियमों के लागू करने का कार्य राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया जाता है। मंडल में अध्यक्ष पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं सदस्य सचिव के पद पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रशासनिक नियंत्रण पर्यावरण विभाग के अधीन है। मंडल का पुर्नगठन प्रत्येक तीन वर्ष बाद राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मंडल का पुर्नगठन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

10. राजस्थान राज्य जैव–विविधता बोर्ड :

राजस्थान राज्य जैव–विविधता बोर्ड का गठन जैव–विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार की अधिसूचना प. 4 (8)1/2005/पार्ट–1 जयपुर दिनांक 14.09.2010 द्वारा किया गया था। पुर्नगठन की प्रकिया राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह बोर्ड राज्य की जैव विविधता के संरक्षण एवं जैव–विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के नियामक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। दिनांक 22.05.2015 को अन्तर्राष्ट्रिय जैव विविधता दिवस सभी जिला मुख्यालयों एवं जयपुर में समारोहपूर्वक मनाया गया।

प्रदेश की जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से प्रदेश एवं संभागीय मुख्यालयों पर आमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही पुस्तक, पोस्टर्स, स्टिकर्स एवं पोस्टकार्ड इत्यादि सहायक प्रचार सामग्री के माध्यम से युवा पीढ़ी को जैव विविधता के महत्व एवं इसके संरक्षण से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

आगामी वित्तीय वर्ष में जिला स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही जनसाधारण को जैव विविधता संरक्षण के सम्बन्ध में व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यार्थियों, इको–क्लब (Eco-clubs) के सदस्यों, जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के सदस्यों तथा जनप्रतिनिधियों के लिये समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों का भ्रमण कराया जाना भी प्रस्तावित है।

दिसम्बर, 2015 तक जैव विविधता बोर्ड द्वारा 61 जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन किया जा चुका है।

विद्यालय स्तर पर Bio-clubs स्थापित करने का कार्य प्रगतिरत है। पूर्व गठित 22 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों हेतु वर्ष के दौरान लोक जैव विविधता पंजिका का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

11. भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं/नियमों का क्रियान्वयनः

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं/नियमों आदि की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु विभिन्न सम्बन्धित विभागों के माध्यम से कार्यवाही करवाई जाती है। इन अधिसूचनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

4. परिसंकटमय अपशिष्ठ (प्रबन्धन, हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2008
5. जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम,1998
6. नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2000
7. ध्वनि प्रदूषण (विनियम एवं नियंत्रण)नियम 2000
8. फ्लाई ऐश अधिसूचना, 1999
9. अरावली नोटिफिकेशन, 1992

- भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 1999 को अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को अलवर जिले में पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था। पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति को परीक्षण एवं अभिशंसा हेतु प्रस्तुत किये जाते है। तदुपरान्त पर्यावरण मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है।

12. आबू पर्वत को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने बाबत अधिसूचनाः

आबू पर्वत को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने बाबत भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 25 जून 2009 द्वारा जारी की जा चुकी है।

भारत सरकार के आफिस मेमोरेन्डम संख्या प.25/7/2012–ESZ/RE दिनांक 05.05.2015 से माउन्ट आबू ईको सेन्सिटिव जोन में विभिन्न गतिविधियों के प्रबोधन हेतु प्रबोधन समिति का पुर्नगठन दो वर्ष के लिए किया गया है।

आबू पर्वत संवदेनशील क्षेत्र के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 25.06.2009 के प्रावधानानुसार आबू पर्वत संवेदनशील क्षेत्र का जोनल मास्टर प्लान भारत सरकार के पत्र क्रमाक प.25/7/2012– ESZ/RE दिनांक 28.09.2015 से अनुमोदित किया गया है। इसके संबंध में राजस्थान राज–पत्र में दिनांक 06.11.2015 को पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 29.10.2015 का प्रकाशन किया गया है।

13. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण राजस्थान :

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई, 2008 के द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority - SEIAA) राजस्थान का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14 सितम्बर 2006 में वर्णित ग्रुप–बी की परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करता है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का आ.1533(अ) दिनांक 14. 09.2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान का पुर्नगठन 24 दिसम्बर, 2014 को किया गया जिसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया है। प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य है। श्रीमती अलका काला भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, श्री संकठा प्रसाद भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त) सदस्य एवं पर्यावरण विभाग के शासन सचिव, सदस्य सचिव है। प्राधिकरण की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा एक 11 सदस्यीय (State Level Expert Appraisal Committee - SEAC) का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष डा. एस.एस. राठौड सहबद्ध आचार्य, खनन इंजीनियरी विभाग, टेक्नोलोजी एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान एवं सदस्य सचिव, वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, पर्यावरण विभाग है।

गत दो वर्षो (01.04.2014 से 31.03.2015 एवं 01.04.2015 से 31.12.2015 तक) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) / राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) में पर्यावरण स्वीकृति (EC) हेतु प्राप्त प्रकरणो की सूचना

दिनांक	कुल प्राप्त आवेदन	पर्यावरण स्वीकृति जारी	केन्द्र सरकार को स्थानान्तरित	SEAC को वापिस भेजे गए	Close & delist	Terms of Reference जारी की गयी
01.04.014 से 31.03.015	1164	273	7	5	20	138
01.04.015 से 31.12.015	9959	976	2	137	178	1163

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी, 2016 से लघु खनिजों के खनन के लिये प्रवर्ग "ख–2" परियोजनाओं में पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिये देश के प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। यह अधिसूचना पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में जारी की गयी है। उक्त प्राधिकरण की सहायता प्रदान करने के लिये उक्त अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (डी.ई.ए.सी.) देश के सभी जिलो के लिये गठित की गयी है।

14. पर्यावरण विभाग की वेबसाईट और एम.आई.एस सॉफ्टवेयरः

- सम्मति व ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाइन जमा कराने व ट्रेकिंग की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर चालू किया जा चुका है।
- राज्य मण्डल में एम.आई.एस. सिस्टम को अपग्रेड करने तथा सम्मति व ऑथोराइजेशन के पत्रों को ऑनलाईन जमा कराने व ट्रैकिंग की सुविध रॉजकाम इन्फों सर्विस लि0 द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है। सम्मति व ऑथोराइजेशन के आवेदन पत्रों को ऑनलाईन जमा (ई–मित्र कियोस्क द्वारा) कराने की सुविधा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के एम.आई.एस. द्वारा दिनांक 19.11.2014 से प्रारम्भ की जा चुकी है।
- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी हरी श्रेणी (Green Category) में वर्गीकत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों जिनका कुल पूंजी निवेश 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम हो उनका सम्मति आवेदन दिनांक 01.12.2015 से ऑनलाइन जमा कराये जाने की सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है। एवं पावती पत्र को उद्योग इकाई में पंजीकृत ई–मेल आईडी पर मेल द्वारा प्रेषित

करने की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है। जिसका प्रिन्ट आऊट कही से भी लिया जा सकता है। ऑनलाइन पावती पत्र पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

- पर्यावरण विभाग का नया पोर्टल माह दिसम्बर 2015 से चालू हो गया है। जिसमें पर्यावरण विभाग, जैव विविधता बोर्ड एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेबसाइट एक पोर्टल में उपलब्ध है।
- पर्यावरण विभाग की वेबसाइट में माह दिसम्बर 2015 तक पर्यावरणीय अनुमति (Environment Clearance) की PDF फाइले अपलोड़ हो चुकी है एवं यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु 07 दिसंबर 2015 से प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है जिसके अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति हेतु आवेदन ऑनलाइन करने पर ही स्वीकार किये जा रहे है।

15. बजट वर्ष 2015-2016:

पर्यावरण विभाग का वर्ष 2015–16 के लिए आयोजना भिन्न मद में राशि रू 101.55 लाख तथा आयोजना मद में राशि रू 4703.03 लाख का प्रावधान रखा गया है।

वास्तविक व्यय

आयोजना व्यय (रूपये लाखो म)

(2011–12 से 2015–16 तक)

क्र.सं.	मदवार विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16 (माह दिसम्बर 2015 तक)
1	वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते	10.90	6.60	9.18	10.23	28.36
2	पर्यावरण शिक्षा एवं सुधार	0.00	0.00	61.80	0.00	0.00
3	विज्ञापन एवं प्रचार, प्रसार व्यय	19.67	39.80	38.89	26.32	22.58
4	सी.ई.टी.पी. को	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	अनुदान					
5	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	857.14	0.00	0.00	0.00	0.00
6	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	673.73	674.22	18.38	3268.82	837.14
7	राजस्थान जैव विविधता बोर्ड	44.62	200.94	222.58	203.46	121.18
8	राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार	0.00	7.63	7.62	7.61	0.36
9	प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन	3.37	3.21	1.77	2.42	1.57
10	बायो मेडिकल–वेस्ट प्रबंधन	0.00	193.03	55.14	0.00	0.00
11	विभागो द्वारा विशिष्ट सेवाओ पर व्यय	0.00	0.00	0.00	37.08	0.00
योग		**1609.43**	**1125.43**	**415.36**	**3555.94**	**1011.19**

आयोजना भिन्न व्यय (रूपये लाखो में)

(2011–12 से 2015–16 तक)

क्रं.सं.	मदवार विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16 (माह दिसम्बर 2015 तक)
1	प्रशासनिक व्यय	60.68	75.13	92.61	83.21	74.92
योग		**60.68**	**75.13**	**92.61**	**83.21**	**74.92**